

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: एफ.3(55)नवि/3/2002

जयपुर, दिनांक: 25 NOV 2016

आदेश

विषय:- भूमि आवंटन नीति, 2015 के अन्तर्गत राजस्थान के नगरीय निकायो को निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां प्रत्योजित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति, 2015 मंत्रिमण्डल आज्ञा संख्या 180/2015 दिनांक 12.09.2015 के अनुसरण में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26.09.2015 द्वारा जारी कर राजकीय विभागों/उपक्रमों आदि को भूमि आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 9 द्वारा भूमि आवंटन के प्रावधान किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि भूमि आवंटन नीति, 2015 में राजकीय विभागों एवं राज्य सरकार द्वारा पोषित मण्डल/निगम/उपक्रम आदि को भूमि आवंटन हेतु अधिकतम क्षेत्रफल निर्धारित किया हुआ नहीं है।

विभाग द्वारा पूर्व में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 28.06.2016 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जल प्रदाय योजनाओं आदि के लिये 1000 वर्गमीटर से नीचे की भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने की शक्तियां प्राधिकरण/न्यासो को प्रदत्त की गयी है।

इसी के अनुरूप राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 31 सहपठित नियम 15(बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु विकास प्राधिकरणों/न्यासों/नगरीय निकायो को शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है :-

1	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इफ्रास्ट्रक्चर हेतु भूमि आवंटन	1000 वर्गमीटर तक
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	4000 वर्गमीटर तक
3	उप स्वास्थ्य भवन	500 वर्गमीटर तक
4	पुलिस थाना	2000 वर्गमीटर तक
5	पुलिस चौकी	500 वर्गमीटर तक

उपरोक्त सीमा से अधिक आवंटन की स्थिति में प्रस्ताव मय औचित्य के राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जावे। यह आदेश समस्त नगरीय निकायों पर तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाता है।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

o/c

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, माननीय मंत्री जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
8. निजी सहायक, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, राजस्थान सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
11. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. विशेषाधिकारी/परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, नगर नियोजन विभाग, जयपुर।
13. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त आदेश एवं प्रारूपित नियमों की प्रति प्रेषित कर लेख है कि इन्हे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड कराने का श्रम करे।
15. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
16. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
17. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
18. रक्षित पत्रावली।


25/1/16
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम